

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी:- नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या:-03/2023 आर्बीट्रेशन

जी.सी.एम.एस. नंबर: 2023/308

वैभव शर्मा पिता श्री कृष्णचन्द शर्मा निवासी पाटुना चौक, ऋषभदेव, उदयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक उदयपुर-अहमदाबाद खण्ड कार्यालय पता: मेन रोड, सरस डेयरी के पास, हिरण मगरी, सेक्टर-14, उदयपुर
2. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर

विपक्षीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 3(G)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (संशोधित) एवं आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 विरुद्ध आदेश एवं अवार्ड सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर दिनांक 27.02.2023 पत्रावली/एन.एच.ए.आई./छ: लेन/ऋषभदेव/खेरवाड़ा/अवार्ड संख्या 58

- उपस्थित:-
1. श्री आशीष दोवडिया, अधिवक्ता प्रार्थी
 2. श्री पी.सी. जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक- 23/09/2025

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बनाराजगी अवार्ड संख्या 58 दिनांक 27.02.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा नेशनल हाईवे नंबर-8 पर उदयपुर से अहमदाबाद मार्ग पर छ: लेन का कार्य प्रारंभ होकर छ:लेन बन चुका है और नेशनल हाईवे की दोनो तरफ की खातेदारी भूमि अवाप्त की जा रही है। प्रार्थी का एक भूखण्ड जो मौजा धुलेव ग्राम पंचायत ऋषभदेव की आराजी संख्या 1199 रकबा 0.65 हैक्टेयर आबादी भूमि में से 2100 वर्गफीट का स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में छ: लेन के लिए 0.0050 हैक्टेयर आबादी भूमि अवाप्त की गई जिसमें प्रार्थी का 538 वर्गफीट आबादी भूमि अवाप्त की गई है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत ऋषभदेव की आबादी भूमि में ग्राम पंचायत से नियमानुसार आबादी भूमि का पट्टा प्राप्त किया, उक्त भूमि ग्राम पंचायत के खाते आबादी विस्तार हेतु खाते दर्ज होने से पट्टा देने का अधिकार था। प्रार्थी का उक्त वर्णित भूखण्ड पर काफी समय से स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त है। इसलिए प्रार्थी का भूखण्ड की 538 फीट छ: लेन के विस्तार में अवाप्ति की जा रही है, जिसका प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने का पूर्ण रूप से अधिकारी है। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 2 के यहां पर आपत्ति भी प्रस्तुत की थी लेकिन विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थी की अवाप्तशुदा जमीन का कृषि भूमि की दर से काफी कम अवार्ड दिनांक 27.02.2023

जिला कलक्टर
उदयपुर

को पारित किया है जो काफी कम राशि का अवार्ड है। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अति. जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा उक्त अवार्ड आदेश वर्तमान भूमि की प्रकृति के अनुसार आबादी भूमि की दर से नहीं दिया गया है बल्कि अवार्ड कृषि भूमि की दर से पारित किया गया है, जो वास्तव में न्यायोचित नहीं है जबकि प्रार्थी को भूमि ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा आबादी विस्तार की होने से आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया है तथा जमाबन्दी में भी ग्राम पंचायत आबादी विस्तार के नाम से इन्द्राज किया हुआ है। प्रार्थी ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति को प्रस्तुत किया, उक्त आपत्ति के आधार पर विपक्षी संख्या 1 एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति ऋषभदेव से भी प्रार्थी के उक्त पट्टे के संबंध में जानकारी चाही तो विकास अधिकारी पंचायत समिति ऋषभदेव द्वारा दिनांक 03.11.2022 को भेजा गया जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी की पट्टेशुदा आबादी भूमि जो ग्राम पंचायत ऋषभदेव के खाते दर्ज थी में प्रार्थी को जारी 2100 वर्गफीट के पट्टे में से 538 वर्गफीट भूमि अवाप्ताधीन है जिसके संबंध में समस्त राजस्व रेकॉर्ड भी भेजा गया लेकिन अधीनस्थ सक्षम अधिकारी ने उक्त रिकार्ड को भी नजरअंदाज कर प्रार्थी को अवार्ड कृषि भूमि की दर से जारी किया है जो काफी कम है। अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी विपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 20.01.2023 को प्रार्थी की अवाप्ताधीन आबादी भूमि को आबादी दर्शाते हुए बजट की मांग की गई और संबंधित आराजी के संबंध में समस्त रिकार्ड का मिलान कर आबादी होना साबित हुआ है इसी आधार पर आबादी की दर से अवार्ड जारी करने हेतु सहमति प्रेषित कराने के लिए प्रार्थी को मुआवजा भुगतान की कार्यवाही हेतु लिखा गया लेकिन विपक्षी संख्या 1 ने अपने पत्र दिनांक 09.02.2023 में यह अंकित किया कि खसरा नंबर 1199 की भूमि रकबा 0.0050 हैक्टेयर भूमि भारत के राजपत्र में दिनांक 07.04.2017 को अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें अवाप्त भूमि की किस्म मगरी II का प्रकाशन हुआ है उक्त प्रकाशन के 21 दिन के भीतर प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए प्रार्थी प्रकाशित अधिसूचना में भूमि की किस्म के अनुसार मुआवजा देय है, लेकिन विपक्षी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर उक्त पत्र प्रेषित किया है। वास्तव में उक्त अवाप्तशुदा आराजी ग्राम पंचायत ऋषभदेव के नाम पर आबादी विस्तार हेतु नामांतरकरण संख्या 579 से दिनांक 20.07.2002 को दर्ज किया गया है तब से उक्त भूमि आबादी में दर्ज है इसलिए विपक्षी संख्या 1 को जो कथन है कि उक्त भूमि दिनांक 07.04.2017 को प्रकाशित अधिसूचना में किस्म मगरी का प्रकाशन हुआ है उक्त प्रकाशन गलत हुआ है इसके लिए प्रार्थी जिम्मेदार नहीं है। प्रार्थी ने जिस आराजी में अपना भूखण्ड का स्वामित्व आधिपत्य प्राप्त किया है उसी भूखण्ड में उक्त भूमि अवाप्त की जा रही है। सन् 2017 की अधिसूचना के प्रकाशन के संबंध में यह स्पष्ट नहीं था कि अवाप्तशुदा आराजी नंबर 1199 रकबा 0.65 हैक्टेयर में आबादी भूमि में कौनसी 0.0050 हैक्टेयर साइड की भूमि अवाप्त होगी का उल्लेख नहीं था इसलिए तत्समय प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई अब मौके पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की क्रयशुदा आबादी भूखण्ड में उसके स्वामित्व आधिपत्य की 538 वर्गफीट अवाप्ताधीन है, इसलिए प्रार्थी उक्त अवाप्तिशुदा भूखण्ड की दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 को दिये गये जवाब में कृषि भूमि की दर से मुआवजा दिये जाने की जो अनुशंसा की गई

है वह गलत की गई है जबकि अवाप्तशुदा आराजी 2002 से ही आबादी ग्राम पंचायत ऋषभदेव के विस्तार हेतु नामांतरित हुई है तबसे ग्राम पंचायत ऋषभदेव का स्वामित्व एवं आधिपत्य होने से उन्होंने आबादी विस्तार हेतु उक्त आराजी में आबादी भूखण्ड भी विक्रय किये है ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 द्वारा जो नोटिफिकेशन उक्त आराजी के संबंध में मगरी द्वितीय के रूप में किया गया है जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि जब उक्त वर्णित आराजी सन् 2002 से ही आबादी हो गई है तो 2017 में उक्त वर्णित आराजी कृषि भूमि के रूप में दर्ज होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त वर्णित आराजीयात राजस्व रेकॉर्ड में आबादी दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात के पास में सड़क के किनारे आबादी भूमि अवाप्त की है। इसका विवरण जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में भी आबादी के रूप में दर्ज की गई है जिसका स्वामित्व, आधिपत्य ग्राम पंचायत ऋषभदेव को प्राप्त होने से उन्होंने पट्टे जारी किये और प्रार्थी को जारी पट्टे में से विपक्षी संख्या 1 द्वारा भूमि अवाप्त की जा रही है जो किस्म मगरी की नहीं होकर आबादी की है। प्रार्थी अपनी भूमि का उपयोग-उपभोग करने से वंचित हो गया है जिससे उसे काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसकी क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि एवं अन्य भूमि देकर की जा सकती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त सरकारी राजस्व रेकॉर्ड का नजरअंदाज कर कृषि भूमि की दर से जो मुआवजा पारित किया है वह कतई न्यायोचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर पारित अवाई दिनांक 27.02.2023 निरस्त फरमाया जाकर आबादी भूमि की दर से मुआवजा राशि का अवाई प्रार्थी के नाम से जारी किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का मौजा धूलेव ग्राम पंचायत ऋषभदेव की आराजी संख्या 1199 रकबा 0.65 हैक्टेयर में 2100 वर्गफीट आबादी भूमि का भूखण्ड स्थित है, जिसमें प्रार्थी की 538 वर्गफीट भूमि छः लेन विस्तार हेतु अवाप्त की गई है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के उक्त आबादी भूमि का कृषि भूमि की दर से काफी कम अवाई दिनांक 27.02.2023 को पारित किया गया है। प्रार्थी को भूमि ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा आबादी विस्तार की होने से आबादी भूमि का पट्टा जारी किया गया, जमाबन्दी में भी उक्त भूमि ग्राम पंचायत आबादी विस्तार के नाम से इन्द्राज किया हुआ है। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत करने के उपरांत, पंचायत समिति ऋषभदेव द्वारा दिनांक 03.11.2022 को भेजे गये जांच प्रतिवेदन के भी उक्त भूमि आबादी दर्ज थी, जिसके संबंध में समस्त राजस्व रेकॉर्ड भेजने पर भी अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी ने उक्त रेकॉर्ड का नजरअंदाज कर प्रार्थी को कृषि भूमि की दर से अवाई जारी किया गया है। अवाप्ताधीन आराजी 2002 से ही ग्राम पंचायत ऋषभदेव के नाम आबादी विस्तार हेतु नामांतरित है ऐसी स्थिति में दिनांक 07.04.2017 को प्रकाशित अधिसूचना में भूमि की किस्म मगरी II का प्रकाशन हुआ जो गलत है। पंचायत समिति ऋषभदेव एवं राजस्व विभाग द्वारा भी उक्त भूमि की आबादी होना और आबादी भूमि में प्रार्थी के भूखण्ड में 538 वर्गफीट भूमि अवाप्ताधीन हाने की स्पष्ट रिपोर्ट होने के बावजूद भी

विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को कृषि भूमि की दर से मुआवजा राशि के आदेश दिये गये हैं जो काफी कम है। इसलिए प्रार्थी आबादी भूमि की दर से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त वर्णित आराजीयात आबादी भूमि खाते दर्ज है, प्रार्थी को आबादी भूमि के पट्टे के जरिये स्वामित्व आधिपत्य प्राप्त होने से आबादी भूमि छः लेन के लिए अवाप्त की है, उसी अनुसार अवार्ड पारित नहीं किया गया है जो कि विधि अनुसार नहीं होने से काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकॉर्ड को नजरअंदाज कर सिर्फ विपक्षी संख्या 1 के जवाब को सही मानकार प्रार्थी की आबादी भूमि का कृषि भूमि की से जो अवार्ड पारित किया है वह न्यायोचित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अवार्ड दिनांक 27.02.2023 को निरस्त फरमाया जाकर आबादी भूमि की दर से मुआवजा राशि का अवार्ड प्रार्थी के नाम से जारी किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उद्घोषित की गई अवाप्ति अधिसूचनाओं के क्रम में भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्यवाही की अधिकारिता सक्षम प्राधिकृत अधिकारी में निहित होकर जारी की गई अधिसूचनाओं के क्रम में अधिनियम की धारा 3(डी) में उद्घोषित भूमि का स्वत्व, स्वामित्व आधिपत्य सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में निहित हो चुका है और मंत्रालय द्वारा उद्घोषित स्वीकृत योजनानुरूप सड़क निर्माण कार्य राष्ट्रीय विश्वव्यापी कल्याणकारी योजना का मूर्तरूप दिया जा रहा है और अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही अन्तर्गत विपक्षी संख्या 2 द्वारा की जारी की गई अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3(ए) अनुसार होकर चुनौतिग्रस्त अवार्ड दिनांक 27.02.2023 को पारित किया गया है। बिलानाम सरकारी राजकीय भूमि से प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं रहता हैं हस्तगत प्रकरण के संबंध में आराजी संख्या 1199 का रकबा 0.0050 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति अधिसूचना अन्तर्गत धारा 3(ए) के तहत दिनांक 23.08.2016 को राजपत्र में प्रकाशित की गई और संबंधित समस्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधिनियम की धारा 3(डी) के तहत अवाप्ति अधिसूचना दिनांक 07.04.2017 को उद्घोषित की गई है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही के संबंध में अवाप्तशुदा भूमि खसरा संख्या 1199 रकबा 0.0050 हैक्टेयर का मुआवजा आदेश रेकॉर्ड, मौके की स्थिति, अभिलेख एवं उपयोगिता एवं राजस्व निरीक्षक विवरण अनुसार अवाप्तशुदा भूमि का जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर अनुसार अवार्ड आदेश पारित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि पूर्णरूप से किस्म मगरी ॥ रही है न कि हल्का आबादी तथा प्रार्थी द्वारा 0.65 हैक्टेयर भूमि का जो उल्लेख ग्राम पंचायत ऋषभदेव की भूमि के संबंध में किया गया है वह पूर्णरूप से मिथ्या होकर औचित्य एवं आधारहीन है क्योंकि सड़क मार्ग से लगी हुई भूमि की किस्म परिवर्तन योग्य ही नहीं रहती है और इस संबंध में भू-राजस्व अधिनियम कृषि भूमि रूपांतरण नियम संशोधित 2007 की धारा 4 के अनुसार भी राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई निर्धारित सीमा तक किस्म परिवर्तन योग्य ही नहीं होती है न पंचायत का ऐसी भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार प्राप्त है। वास्तविकता यह है कि अवाप्तशुदा भूमि प्रार्थी के खातेदारी हक अनुसार किस्म मगरी रकबा 0.0050 हैक्टेयर ही अवाप्त किया गया है

और उक्त किस्म अनुसार ही अवार्ड आदेश पारित किया गया है। उल्लेखित अवाप्तशुदा भूमि की किस्म हल्का आबादी नहीं रही है, न ही राष्ट्रीय राजमार्ग की लगी हुई सीमा से निर्धारित दूरी तक की भूमि की किस्म परिवर्तित ही की जा सकती है। इस संबंध में नियम 4 पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिशा निर्देश अनुसार भी किस्म रूपांतरण का अधिकार ग्राम पंचायत या रूपांतरण अधिकारी में निहित नहीं रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(ए) प्रकाशन दिनांक की दर से ही भुगतान देय होता है जो कि विधिक प्रावधान है तथा अवाप्तशुदा भूमि बाबत पारित अवार्ड में वृद्धि किये जाने का तनिक भी आधार किसी भी रूप में आप न्यायालय या सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के न्यायालय में प्रार्थी द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में कोई भी अभिलेख, न्यायिक निर्णय, विधिसंगत रूपांतरण आदेश प्रस्तुत नहीं हुआ है। विकास अधिकारी या अन्य आंतरिक विभागीय कार्यवाहियों की कोई भी सरोकारिता उत्तरदाता से संबंधित नहीं है, न ऐसी किसी कार्यवाही की जानकारी रही है। क्षणिक रूप से आंतरिक विभागीय अवधारणा प्रार्थी के पक्ष में की जाना विधिसंगत नहीं है, क्योंकि अवाप्तशुदा भूमि किस्म मगरी रही है और राजस्व अभिलेख में भी उक्त किस्म ही दर्ज है और उक्त किस्म अनुसार ही अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी अवासीय भूखण्ड अनुसार मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रकरण अवाप्त भूमि की किस्म आबादी होना, जबकि वास्तविक रूप से राजस्व अभिलेख एवं मौके की स्थिति अनुसार किस्म मगरी होना प्रमाणित है और इसी अनुसार अवाप्ति अधिसूचनाएं उद्घोषित की गई है। प्रार्थी का यह कथन कि बजट आवंटन कार्यवाही अनुसार किस्म आबादी दर्शित करते हुए विभाग द्वारा बजट कार्यवाही की गई है। इस संबंध में कथन है कि बजट निर्धारण विभागीय कार्यवाहियां है जो कि नीतिगत योजनाबद्ध रूप से किया जाता है जिसका कोई भी विधिक आधार अधिकारिता के रूप में प्रार्थी का सृजित नहीं होता है। मौके की स्थिति अनुसार भी अवाप्तशुदा भूमि की किस्म मगरी ॥ रही है न कि आबादी। उक्त भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत ऋषभदेव को कोई अधिकारिता ही प्राप्त नहीं है क्योंकि उल्लेखित भूमि जो अवाप्त की गई है वह प्रार्थी के खातेदारी हक की है और खातेदारी हक अनुसार ही समस्त अवाप्ति कार्यवाही एवं अधिसूचनाएं उद्घोषित प्रकाशित की गई है जिसके विपरीत कोई भी अवधारणा इस स्तर पर श्रवण योग्य नहीं है। उल्लेखित भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी की खातेदारी हक की रही है और उसी अनुसार ही रिकॉर्ड, मौके की स्थिति का निरीक्षण करते हुए प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ही अवार्ड पारित किया गया है। उक्त मार्ग पर शुरू से ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 फोरलेन सड़क बनी हुई थी और छःलेन विस्तारीकरण किया गया है। ऐसी दशा में अंतिम छोर से भी दोनो तरफ निर्धारित सीमा तक की भूमि किस्म परिवर्तन योग्य ही नहीं रहती है। विधिक प्रावधानों के विपरीत अधिकारिता से परे कोई कृत्य एवं कार्यवाहियां की भी गई है तो वह स्वतः अवैध होकर शून्य प्रभावी होने से किसी भी तरह की अधिकारिता मुआवजा आदेश में वृद्धि किये जाने बाबत प्रार्थी के पक्ष में निहित न होने के कारण प्रार्थी का आवेदन निरस्त योग्य है। प्रार्थी के पक्ष में उल्लेखित अवाप्तशुदा भूमि का पट्टा न तो जारी किया गया है न पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त रहता है एवं जब अभिलेख अनुसार भी भूमि खातेदारी हक ही रही है और किस्म परिवर्तन सक्षम न्यायालय अधिकारिता की वैधानिक कार्यवाही से ही संभव है और इस बाबत कोई भी

न्यायिक आदेश प्रभावी नहीं है। पारित आदेश पूर्णतया विधिसंगत होकर विपक्षी संख्या 2 द्वारा अवाप्तशुदा भूमि समस्त अभिलेखों, परिस्थितियों, मौके की स्थिति, राजस्व अभिलेख की रोशनी में वैधानिक कर्तव्यों की पूर्ण पालना करते हुए अवार्ड आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी भी तरह का संशोधन अपेक्षित ही नहीं है। अतः प्रार्थी का क्लेम आवेदन पत्र निरस्त फरमाये जाने का अवार्ड/आदेश पारित फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया। प्रार्थी का कथन है कि राजस्व ग्राम धुलेव की आराजी संख्या 1199 में प्रार्थी का ग्राम पंचायत द्वारा 2100 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया जिसमें से 538 वर्गफीट भूमि अवाप्त की गई किन्तु भूमि का प्रकाशन मगरी ॥ होने से कृषि भूमि की दर से मुआवजा दिया गया है अतः आबादी की दर से मुआवजा दिलाया जावे। विपक्षी का कथन है कि प्रकाशन के समय जो किस्म जमाबन्दी में अंकित थी उसी अनुसार मुआवजा भुगतान किया गया है जो नियमानुसार है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड अनुसार राजस्व ग्राम धुलेव ग्राम पंचायत ऋषभदेव की आराजी नम्बर 1199 रकबा 0.0050 हे. भूमि किस्म मगरी मानते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) उदयपुर द्वारा वैभव शर्मा पिता कृष्णचन्द्र शर्मा के नाम दिनांक 27.02.2023 को अवार्ड जारी किया गया है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत ऋषभदेव की आबादी भूमि में ग्राम पंचायत ऋषभदेव से नियमानुसार आबादी भूमि का पट्टा प्राप्त किया, पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी पट्टा क्रमांक 4664 दिनांक 25.01.13 की प्रति से इस तथ्य की पुष्टि होती है। उक्त भूमि वर्ष 2002 में उक्त भूमि आबादी दर्ज हो गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2060-63 अनुसार नामान्तरकरण संख्या 579 दिनांक 20.07.2002 से उक्त अवाप्तशुदा आराजी को आबादी दर्ज किया जाना स्पष्ट है किन्तु जमाबन्दी सम्वत 2064-67, 2068-71, 2072-75 में उक्त आराजी की किस्म मगरी ॥ होने से मगरी ॥ का प्रकाशन हुआ है। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.03.2022 को उक्त आराजी की किस्म आबादी शुद्धि कराया गया है। प्रार्थी द्वारा 2100 वर्गफीट का पट्टा प्राप्त किया गया जिसमें से 538 वर्गफीट भूमि अवाप्त हो रही है।

जमाबन्दी सम्वत 2064-67, 2068-71, 2072-75 में उक्त आराजी की किस्म मगरी द्वितीय होने से यह सही है कि जमाबन्दी अनुसार किस्म का प्रकाशन हुआ है एवं प्रार्थी द्वारा 3ए एवं 3 डी प्रकाशन पर भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी किन्तु उपखण्ड अधिकारी सलूमबर के आदेश क्रमांक 2353-56 दिनांक 02.08.1990 से उक्त आराजी को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित की जा चुकी थी जिसकी पालना में दिनांक 579 दिनांक 21.07.02 को किस्म आबादी का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात पुनः किस्म मगरी-॥ होने के कारण पत्रावली पर स्पष्ट नहीं है। चूंकि 12.03.2022 में शुद्धि से पुनः आबादी दर्ज किया जा चुका है, पत्रावली पर प्रार्थी को जारी पट्टे की प्रति, विकास अधिकारी पंचायत समिति ऋषभदेव का जांच प्रतिवेदन में भी वैभव शर्मा पिता कृष्णचन्द्र शर्मा के नाम जारी विक्रय विलेख में से

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 03/23 आर्बीट्रेशन
वैभव शर्मा बनाम परियोजना निदेशक
जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/308

0.05 हेक्टेयर (538 वर्गफीट) भूमि अवाप्त होने से नियमानुसार मुआवजा भुगतान की अनुशंषा भी की गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रकरण में जांच पश्चात विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व ग्राम धुलेव तहसील ऋषभदेव की अवाप्ताधीन आराजी संख्या 1199 के सम्बन्ध में आबादी विस्तार हेतु जारी किये गये आदेश, धारा 136 के तहत पारित आदेश, प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा, पारित नामान्तरकरण एवं अन्य दस्तावेजों की जांच करते हुए विधिसम्मत कार्यवाही करे।

निर्णय की प्रति मय पत्रावली सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्त अधिकारी को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश की एक-एक प्रति दोनों पक्षकारों को नियमानुसार प्रदान की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर